

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

मध्यप्रदेश शासन की दवा नीति - 2006

1. उद्देश्य:-

1.1 प्रदेश की चिकित्सा संस्थाओं में (दवा एवं सामग्री मद् में उपलब्ध बजट अनुसार) रोगियों की आवश्यकतानुसार उच्च गुणवत्ता की औषधियाँ तथा चिकित्सा सामग्री की सही समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करना ।

1.2 प्रदेश की समस्त चिकित्सा संस्थाओं में औषधियों का यथोचित उपयोग सुनिश्चित करना ।

2. उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु गतिविधियाँ :-

2.1 औषधियों का क्रय यथासंभव उपलब्ध अनिवार्य औषधि सूची (**Essential Drug List - EDL**) के आधार पर किया जावेगा। अनिवार्य औषधि सूची की प्रत्येक 2 वर्षों में समीक्षा तकनीकी समिति द्वारा कर उसको उन्नत किया जाता रहेगा। प्रदेश में उपलब्ध अनिवार्य औषधि सूची में संस्थावार औषधियाँ निम्नानुसार है :-

क्र	संस्था	कुल औषधि
(अ)	जिला चिकित्सालय	234
(ब)	सिविल अस्पताल	197
(स)	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	128
(द)	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	72
(इ)	उप स्वास्थ्य केन्द्र	22

2.2 प्रदेश में सामान्य रोगों के उपचार हेतु एक 'मानक उपचार मार्गदर्शिका'

(स्टेन्डर्ड ट्रीटमेन्ट गाइडलाइन्स) उपलब्ध है जिसकी प्रत्येक 2 वर्षों में वशेषज्ञों द्वारा पुनरीक्षण किया जाकर उन्नत किया जावेगा। प्रदेश की सभी स्वास्थ्य /चिकित्सा संस्थाओं में उपचार इसी मानक उपचार मार्गदर्शिका के आधार पर प्रचलन में लाया जावेगा।

2.3 तमिलनाडु के सफल अनुभवों को देखते हुए यह प्रस्तावित है कि तमिलनाडु मेडिकल सर्विसेस कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जो साफ्टवेयर इस्तेमाल में लाया जा रहा है उस साफ्टवेयर को सीधे उनसे क्रय किया जाये। साथ ही उन्हें पूरे सिस्टम को इस्तेमाल करने में मदद करने के लिये कंसलटेन्सी भी दी जाये। कंसलटेन्सी एवं साफ्टवेयर क्रय पर होने वाला व्यय म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा किया जाएगा।

2.4 शासन स्तर पर दवाओं एवं उपकरणों के क्रय एवं इससे जुड़े अन्य विषयों पर नीतिगत विचार विमर्श हेतु एक समन्वय समिति गठित की जाएगी जिसके अध्यक्ष प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण होंगे। जिन विभागों के लिए यह क्रय प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उन समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव तथा प्रबंध संचालक, म.प्र. लघु उद्योग निगम इस समिति के सदस्य होंगे।

2.5 स्वास्थ्य संचालनालय में एक औषधि प्रकोष्ठ (Drug Cell) का गठन किया जायेगा जिसका प्रभार संचालक स्तर के अधिकारी के पास रहेगा। औषधि प्रकोष्ठ में तैनात अधिकारियों को वेतन भुगतान प्रशासनिक व्यय मद से होगा जो क्रय के कुल बजट प्रावधान का अधिकतम तीन प्रतिशत होगा। वर्तमान में तीन प्रतिशत राशि लघु उद्योग निगम द्वारा ली जाती है जो इस प्रक्रिया के बाद कम कर एक प्रतिशत कर दी जाएगी। इस प्रकार प्रशासनिक व्यय में एक प्रतिशत की वृद्धि होगी, परन्तु इस अतिरिक्त व्यय से दवाओं की गुणवत्ता, भण्डारण और समय पर आपूर्ति में होने वाली गुणात्मक वृद्धि का लाभ मिल सकेगा।

3 क्रय प्रक्रिया :-

3.1 औषधि मद में प्रदेश हेतु कुल उपलब्ध बजट को दो भागों में विभाजित किया जावेगा। 80 प्रतिशत बजट का उपयोग केन्द्रीय क्रय पद्धति के माध्यम से किया जावेगा तथा 20 प्रतिशत बजट का उपयोग जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ सिविल सर्जन तथा अन्य अस्पताल अधीक्षकों द्वारा किया जावेगा।

3.2 केन्द्रीय स्तर पर औषधि क्रय प्रक्रिया हेतु दो समितियां गठित की जाएगी -

- क. क्रय समिति और
- ख. तकनीकी समिति।

तकनीकी समिति का गठन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा।

3.3 प्रत्येक वर्ष फरवरी माह में म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर निविदाएं आमंत्रित की जाएगी। निविदा की शर्तें एक समान होगी और किसी निविदादाता की कोई अतिरिक्त शर्त मान्य नहीं की जाएगी। निविदादाता को केवल औषधि/उपकरण/सामग्री की दर ऑफर करने का अधिकार होगा। निविदा इलेक्ट्रानिक रूप में ऑनलाईन भरी जाएगी। केवल वास्तविक औषधि निर्माता जो शेड्यूल एम तथा अच्छी निर्माण पद्धतियों का पालन करते हों व जिनके पास नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रसाधन का लायसेंस हो, वे ही निविदा में भाग ले सकेंगे। दवाओं की निविदा जारी करने, उनके मूल्यांकन, दर निर्धारण, दर अनुबंध एवं मॉनीटरिंग की कार्यवाही हेतु म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा एक प्रतिशत सेवा शुल्क लिया जाएगा।

3.4 क्रय की जाने वाली औषधियों का 30 प्रतिशत प्रदेश में पंजीकृत नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रसाधन की लायसेंस प्राप्त, पंजीकृत वास्तविक निर्माता कम्पनियों से ही क्रय किया जाएगा परन्तु उनके लिए भी शेड्यूल एम तथा अच्छी निर्माण पद्धति का पालन करना अनिवार्य होगा। इस हेतु प्रदेश के औषधि निर्माताओं से उनके द्वारा उत्पादित की जाने वाली औषधियों की सूची प्राप्त की जायेगी और यह औषधियाँ 30 प्रतिशत कुल बजट की सीमा

तक उन्हीं से क्रय की जायेगी। इसके लिये भी उन्हें निविदा प्रक्रिया में भाग लेना पड़ेगा परंतु प्रतियोगिता राज्य के निर्माताओं तक ही सीमित रहेगी।

3.5 न्यूनतम दरें देने वाली निर्माता कंपनियों का निरीक्षण करने का अधिकार तकनीकी समिति को होगा। तकनीकी समिति की संरचना निम्नानुसार होगी:—

1	संचालक चिकित्सा सेवाएं – अध्यक्ष
2	संचालक लोक स्वास्थ्य
3	प्रमुख सचिव द्वारा नामांकित चिकित्सा महाविद्यालय के फार्माकालॉजी के विभागाध्यक्ष
4	अनुज्ञप्ति प्राधिकर्ता, नियंत्रक खाद्य तथा औषधि प्रशासन समिति आवश्यकतानुसार अन्य विशेषज्ञों को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगी। आवश्यकतानुसार अथवा विवेकानुसार समिति निर्माता कंपनी का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगी कि उक्त निर्माता कंपनियों द्वारा क्रय हेतु स्वीकार औषधियों के निर्माण में शेड्यूल एम तथा अच्छी निर्माण पद्धति का पालन किया जा रहा है तथा आवश्यकता के अनुरूप औषधि निर्माण व प्रदायगी में सक्षम है या नहीं।

3.6 प्रदेश की वार्षिक आवश्यकतानुसार औषधियों का आंकलन विगत तीन वर्षों के विभाग के वार्षिक बजट तथा उपयोग की गई राशि को आधार मानकर पहले वर्ष किया जाएगा। बाद के वर्षों में गत वर्ष की वास्तविक खपत तथा विभागों की वास्तविक मांग को आधार मानकर किया जावेगा। दवा प्रबंधन साफ्टवेयर आधारित होगा। इससे यह आंकलन किया जा सकेगा कि गत वर्ष में कौन कौन-कौनसी दवा अथवा सामग्री की अधिक/कम खपत हो रही है। इस आंकलन अनुसार भविष्य में दवायें क्रय की जायेगी।

3.7 निविदाओं पर निर्णय हेतु प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अथवा उनके प्रतिनिधि की अध्यक्षता में क्रय समिति गठित की जाएगी जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे—

- क. स्वास्थ्य आयुक्त
- ख. प्रबंध संचालक, म.प्र. लघु उद्योग निगम – संयोजक सदस्य
- ग. संचालक, औषधि प्रकोष्ठ
- घ. संचालक, चिकित्सा शिक्षा
- च. संचालक चिकित्सा सेवायें, म.प्र.

सॉफ्टवेयर द्वारा प्राप्त निविदाओं का तुलनात्मक पत्रक तैयार कर न्यूनतम दर वाली निविदा का निर्धारण किया जाएगा। न्यूनतम दर वाली कम्पनी को कम्प्यूटर के द्वारा तैयार क्रयादेश जारी किया जाएगा। एक बार में तीन माह की मांग के अनुरूप क्रय आदेश जारी किया जावेगा। क्रय आदेश जारी करते समय फास्ट मूविंग तथा स्लो मूविंग औषधियां तथा सीजनल आवश्यकता को ध्यान रखा जाएगा।

3.8 क्रय की जाने वाली औषधियों की प्रदायगी आदेश दिनांक से 45 दिवस के अंदर की जाना अनिवार्य होगी, समय सीमा गुजरने पर आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा विभाग द्वारा वैकल्पिक अनुमोदित सूची में उल्लेखित फर्मों से उक्त औषधि के क्रय की कार्यवाही की जावेगी तथा दरों की अंतर राशि की वसूली संबंधित असफल रही प्रथम आदेशित फर्म से की जावेगी।

3.9 यथासंभव समस्त औषधियों का क्रय जेनरिक (**Generic**) नाम से ही किया जाएगा। आपूर्ति की जाने वाली समस्त औषधियाँ हरे रंग के रैपर में तैयार की जाएँगी जिन पर “मध्यप्रदेश शासन के लिए निर्मित” अनिवार्यतः अंकित होगा। उसी प्रकार प्रत्येक टेबलेट/केप्सूल पर “म.प्र.शा.” अंकित किया जाएगा।

3.10 केन्द्रीय योजना के अंतर्गत प्राप्त औषधि मद के बजट अथवा अन्य संस्थाओं /द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत प्राप्त बजट के औषधि मद का उपयोग यदि कोई विशेष व्यय दिशा निर्देश हो को छोड़कर जहाँ तक संभव हो उपरोक्त उल्लेखनीय प्रक्रिया (3.3) से (3.9) के अंतर्गत ही किया जावेगा। आशय यह है कि प्रदेश में दवा क्रय की एक ही पद्धति प्रचलन में रहेगी।

3.11 चूंकि औषधियां जीवन रक्षक है अतः इस उद्देश्य से कि निरंतर उपलब्धता बनी रहे वैकल्पिक व्यवस्था हेतु सभी औषधियों के लिये 2 से 3 फर्मों की अनुमोदित प्रतीक्षा सूची भी साफ्टवेयर के द्वारा तैयार कर उपलब्ध रखी जावेगी।

3.12 20 प्रतिशत औषधि मद के शेष बजट का उपयोग जिला स्तर पर निम्न मदों में किया जावेगा। आपात क्रय/स्थानीय क्रय की प्रक्रिया जिला संस्थाओं द्वारा स्थानीय स्तर पर खुली निविदा के माध्यम से वार्षिक दरें एवं एजेन्सी निर्धारित कर की जावेगी।

(अ) आवश्यकतानुसार आक्सीजन गैस, नाइट्रस आक्साइड गैस का रिफिल, लेबोरेट्री रिऐजेन्ट, ग्लासवेयर, सूचर मटेरियल आदि का क्रय।

(ब) औषधियों का आकस्मिक क्रय – आपातकालीन परिस्थितियों में आवश्यक औषधियों तथा कन्ज्युमेबल्स का क्रय रूपये 5000/- प्रतिदिन की सीमा तक जिला स्तर पर किया जा सकेगा। एक दिन में रूपये 5000/- से ऊपर तथा रूपये 20000/- तक का यदि इमरजेन्सी क्रय किसी परिस्थितिवश आवश्यक हो तो यदि संभव हो तो क्रय से पूर्व अथवा कार्योपरान्त अनुमति/स्वीकृति क्षेत्रीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(स) इमरजेन्सी क्रय द्वारा किये गये सभी क्रय की समीक्षा माह में एक बार की जायेगी। समीक्षा में चिकित्सालय/संस्था में गठित समिति द्वारा क्रय के औचित्य का परीक्षण किया जायेगा।

4. औषधि भंडारण एवं वितरण :-

4.2 राज्य स्तर पर क्रय की गई औषधियों का भंडारण जिला स्तरीय औषधि भंडारों में किया जावेगा। क्रय आदेश में आपूर्ति का बिंदु जिला स्तरीय भंडार होंगे। प्रत्येक जिला स्तरीय भंडार में एक फार्मासिस्ट, एक डाटा एंट्री आपरेटर और दो से तीन पैकेजिंग सहायक होंगे।

4.2 जिन जिलों में औषधि भंडार डेनिडा के माध्यम से निर्मित हैं वहाँ उन्हें ही जिला स्तरीय औषधि भंडार के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। अन्य

स्थानों पर यह कार्य खुली निविदा के माध्यम से निजी भागीदारी से किया जाएगा। जहाँ डेनिडा निर्मित भंडार का उपयोग किया जाता है वहाँ भंडार खुली निविदा के माध्यम से आने वाले निजी भागीदार को निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा।

4.3 सभी भंडारों में तैनात स्टाफ निजी कंपनियों का रहेगा। उनसे संपादित अनुबंध के आधार पर वेतन/मानदेय का भुगतान संबंधित निजी कंपनियों को किया जाना होगा।

4.4 औषधि का भंडारण प्रबंधन प्रथम आये प्रथम जाये, फास्टमूविंग आइटम तथा स्लो मुविंग आइटम के आधार पर किया जावेगा तथा नियमानुसार भंडारण प्रक्रिया अपनाई जावेगी।

4.6 इन्जेक्शन एन्टी रेबिज वैक्सीन तथा एन्टी स्नेक वैक्सीन का भंडारण संभाग स्तरीय भंडार में किया जावेगा तथा आवश्यकतानुसार जिलों को प्रदायगी मांग अनुरूप सुनिश्चित की जावेगी।

4.6 भंडार तथा वहाँ तैनात स्टाफ का व्यय प्रशासनिक मद से किया जाएगा जो क्रय की जाने वाली समस्त औषधियों के मूल्य का अधिकतम 3 प्रतिशत होगा।

4.7 प्रत्येक जिला स्तरीय भंडार में उस जिले के लिए उपलब्ध आवंटन अनुसार दवाओं का भंडारण किया जाएगा।

5. पास बुक / इण्डेंट बुक :-

जिले के अंदर स्थित समस्त स्वास्थ्य इकाईयों को पास बुक/इण्डेंट बुक उपलब्ध कराई जावेगी। प्रत्येक इकाई उसको प्रावधानित वार्षिक बजट के आधार पर वांछित औषधियों के मूल्य अनुसार अपनी मांग जिला स्तरीय भंडार को प्रस्तुत करेगे तथा औषधि प्रदायगी उपरांत भंडार द्वारा प्रदायित औषधि की प्रविष्टि मूल्य सहित पास बुक/ इण्डेंट बुक में की जावेगी।

6. चिकित्सा शिक्षा विभाग और भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग, द्वारा उनको उपलब्ध औषधि एवं चिकित्सा सामग्री मद में प्रावधानित

राशि का 3 प्रतिशत सर्विस चार्ज तथा गुणवत्ता जॉच आदि हेतु स्वास्थ्य विभाग को देय होगा जिसके लिये तथा अन्य कार्य हेतु स्वास्थ्य विभाग में पी. डी. एकाउंट/रिवाल्विंग फंड खोला जावेगा। अन्य विभाग यथा जेल, गृह, श्रम आदि यदि चाहे तो उपरोक्त प्रक्रिया अनुसार उनकी भी औषधि एवं सामग्री का क्रय स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

7. गुणवत्ता की जॉच :-

7.1 जिला स्तरीय भंडार में प्राप्त होने वाली औषधियों की गुणवत्ता जॉच म. प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा कराई जावेगी। इसके लिये राज्य के बाहर जॉच प्रयोग शालाओं को चिन्हित किया जावेगा। इन जॉच पर होने वाला व्यय अधिकतम 1 प्रतिशत प्रदायकर्ता फर्मों द्वारा वहन किया जावेगा। प्रक्रिया यह रहेगी कि 80 प्रतिशत प्रावधानित बजट में से क्रय की गई औषधियों की सेम्पल जॉच का व्यय का कटोत्रा स्रोत से किया जाकर म.प्र. लघु उद्योग निगम को भुगतान किया जावेगा।

7.2 प्राप्त औषधियों के हर बैच का रेण्डम नमूना जिला स्तरीय भंडार द्वारा सामग्री/ औषधि प्राप्ति के 3 दिवस के भीतर म.प्र. लघु उद्योग निगम को उपलब्ध कराया जावेगा।

7.3 हाइग्रोस्कोपिक औषधियों को छोड़कर सभी औषधियों को स्ट्रिप से निकालकर तथा उनके लेबल आदि हटाकर पृथक से यूनिक कोडिंग कर नमूने जॉच प्रयोग शालाओं में भेजे जावेगे।

7.4 प्रथम जॉच में औषधि/चिकित्सा सामग्री अवमानक स्तर की पाई जाने पर प्रदायकर्ता फर्म द्वारा उस पूरे बैच की औषधि को बदलना होगा या उक्त औषधि के मूल्य के बराबर राशि विभाग के नाम से बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करनी होगी जो विभाग के पी.डी. एकाउंट में जमा की जावेगी तथा उक्त बैच की समस्त औषधि को प्रदायकर्ता फर्म द्वारा अवमानक स्तर की सूचना प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर स्वयं के व्यय पर उठाना होगा।

7.5 यदि कोई औषधि जॉच में अवमानक पाई जाती है या इन्जेक्टेबलस, आई.व्ही. फ्लूड, आई/ईयर ड्रॉप गुणवत्ता जॉच में अथवा स्टरलिटीटेस्ट-असफल पाये जाते हैं तो प्रदायकर्ता फर्म को उस बैच का 100 प्रतिशत स्टॉक स्वयं के व्यय पर बदलना होगा।

7.6 यदि औषधि प्रदायकर्ता फर्म पहली जॉच रिपोर्ट को अस्वीकार करती है तो उसी बैच के 2 पृथक-पृथक नमूने, 2 अलग-अलग प्रयोगशालाओं को जॉच हेतु भेजे जावेगे तथा बहुमत द्वारा प्रस्तुत अभिमत को मान्य किया जावेगा। इस जॉच हेतु प्रदायकर्ता फर्म को पैकिंग, प्रेषण तथा जॉच फीस के रूप में ऐसी फीस जो म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा निर्धारित की जावेगी उसका अग्रिम भुगतान करना होगा।

7.7 प्रदायकर्ता फर्म यदि अवमानक बैच को एक माह के अंदर नहीं बदलता है या उसी बैच के 2 नमूने अवमानक स्तर के पाये जाते हैं तो उक्त औषधि/सामग्री प्रदायकर्ता फर्म को 2 वर्षों के लिये ब्लैक लिस्टेड किया जावेगा। उक्त अवमानक औषधि का मूल्य प्रदायकर्ता फर्म को काली सूचीवद्ध के 15 दिवस के भीतर विभाग को वापस करना होगा अथवा इस मूल्य का समायोजन जमा ई.एम.डी. से किया जावेगा।

8. पेनाल्टी :-

8.1 यदि सफल निविदादाता अनुबंध का पालन करने से असमर्थ होता है अथवा निश्चित समयावधि में सिक्यूरिटी डिपोजिट नहीं करता है अथवा निविदा वापस लेता है अथवा क्रय आदेश के अनुरूप प्रदायगी से असफल रहता है तो क्रय आदेश निरस्त किया जाकर ई.एम.डी. जब्त कर ली जावेगी तथा इस प्रक्रिया में एवं अन्य स्रोत से औषधि/चिकित्सा सामग्री के रूप जो भी व्यय होगा उसकी वसूली भी उक्त निविदादाता से की जावेगी। इसका निर्धारण संचालक क्रय द्वारा किया जावेगा।

8.2 निर्माण फर्म, वितरक अथवा प्रदायगीकर्ता द्वारा प्रदाय की गई औषधियां पूरी अथवा उनका कोई भाग का उपभोग हो जाता है तथा उपभोग उपरांत वह अनुपयुक्त, निम्न गुणवत्ता अथवा अवमानक या उपभोग हेतु अनुपयुक्त पाई जाती है तो निविदादाता द्वारा उक्त मद की निर्धारित मूल्य की राशि वापस ली जावेगी, शेष औषधियाँ वापस की जाकर उनकी भी राशि वापस ली जावेगी तथा फर्म को गुणवत्ता जॉच के नियमानुसार 2 वर्षों के लिये ब्लैक लिस्ट कर दिया जावेगा।

8.3 अनुबंधों की शर्तों का पालन न करने, क्रय आदेश की अधूरी प्रदायगी अथवा पालन न करने पर उक्त फर्म को 2 वर्षों के लिये ब्लैक लिस्ट कर

दिया जावेगा व उसकी ई.एम.डी. जो नियमानुसार जमा की जावेगी जब्त कर ली जावेगी तथा उक्त फर्म की उक्त मद के आदेश शेष समय के लिये नहीं दिये जावेंगे।

8.4 क्रय प्रक्रिया के समस्त प्रकरणों में प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का निर्णय अंतिम तथा मान्य होगा।

8.5 टेण्डर की प्रक्रिया में समस्त कानूनी प्रकरणों का विधिक क्षेत्र मध्यप्रदेश के न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय होगा।

9. भुगतान :-

9.1 भुगतान हेतु संचालक औषधि प्रकोष्ठ के नाम से एक पी.डी.खाता खोला जाएगा जिसमें प्रत्येक त्रैमास के प्रारंभ में त्रैमासिक आवंटन अनुसार राशि कोषालय से आहरित कर जमा की जाएगी।

9.2 औषधि/सामग्री हेतु कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा। प्रदायगीकर्ता इन्वाइस/विल क्रय प्रकोष्ठ को प्रस्तुत करेगा।

9.3 प्रदायगीकर्ता द्वारा प्रदायित औषधि/चिकित्सा सामग्री का सत्यापन आनलाइन जिला स्तरीय भंडारों से प्राप्त होगा। गुणवत्ता प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उसकी प्रविष्टि कंप्यूटर में की जाएगी। जिन औषधियों के लिए गुणवत्ता प्रतिवेदन तथा सामग्री सत्यापन की प्रविष्टि राज्य स्तरीय कंप्यूटर में होगी उनके भुगतान हेतु चेक कंप्यूटर द्वारा तैयार कर दिए जाएंगे। जो कंपनी आनलाइन भुगतान प्राप्त करना चाहेगी उसे आनलाइन भुगतान हेतु कंप्यूटर द्वारा स्वतः आदेश जारी कर दिए जाएंगे। कोई भुगतान नकद नहीं किया जा होगा।

9.4 किसी उपयुक्त कारणवश भुगतान में विलंब अथवा ई.एम.डी. रिलीज में विलंब पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

10 उपकरणों के संबंध में क्रय प्रक्रिया -

10.1 क्रय किये जाने वाले उपकरणों के स्पेसिफिकेशन निर्धारण का कार्य तकनीकी समिति द्वारा किया जावेगा। समिति इस हेतु आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों को बैठकों में आमंत्रित कर सकेगी।

10.2 उपकरणों की आवश्यकता का आंकलन फरवरी माह में किया जाकर जिलों से मांग बुलाई जावेगी।

10.3 इस मांग के आधार पर दवाओं के लिये प्रस्तावित क्रय प्रक्रिया अनुसार ही टेण्डर बुलाये जावेंगे। क्रय प्रक्रिया में केवल वास्तविक निर्माता अथवा उनके अधिकृत एजेण्ट ही भाग ले सकेंगे। साफ्टवेयर द्वारा तैयार तुलना पत्रक के आधार पर क्रय आदेश दिया जावेगा।

10.4 उपकरण की आपूर्ति होने पर जिला स्तरीय समिति गुणवत्ता का सत्यापन करेगी। जिला स्तरीय समिति में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक एवं उपकरण जिस विषय से संबंधित हो उसके विषय विशेषज्ञ सदस्य रहेंगे।

10.5 जिला स्तर से गुणवत्ता का प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर आनलाईन अथवा साफ्टवेयर निर्मित चेक के माध्यम से किया जावेगा।

11. विविध :-

11.1 भंडारित सामग्री की चोरी, प्राकृतिक आपदा, अग्नि, जल आदि प्रकार के संभावित खतरों के विरुद्ध निहित किया जायेगा। यह कार्य वेयरहाउस संचालन करने वाली कंपनी को करना होगा।

11.2 जो आइटम मरीजों के उपचार अथवा अस्पतालों के प्रबंधन में आवश्यक है व उन्हें म.प्र. भंडार क्रय नियम के नियम 14अ एवं ब से मुक्त रखा जायेगा।

11.3 होम्योपैथी, आयुर्वेदिक एवं यूनानी अथवा अन्य पद्धति की दवायें, जिन्हें राज्य शासन द्वारा क्रय किया जाता है, उन्हें भी उपरोक्त पद्धति से ही क्रय किया जावेगा।